मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल–462004

क्रमांक/ 935/10/3/2000 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी, 2000

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्य प्रदेश भोपाल

विषयः–वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग से संबंधित प्रकरण ।

---0---

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लागू होने के पश्चात् वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किए जाते हैं। वर्तमान में इस प्रकार की वन भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रकरण से सम्बद्ध वन भूमि के सर्वे आदि कार्य के लिए आवेदक संस्था/विभाग/व्यक्ति से किसी प्रकार का पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता है।

2/ उपरोक्त तारतम्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु दी जानेवाली वन भूमि से संबंधित प्रकरणों में निम्नानुसार पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क अधिरोपित किया जावे :–

(i) गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि की मांग से संबंधित प्रत्येक प्रकरण पर पंजीयन शुल्क रूपये 1000.00 प्रति प्रस्ताव जमा कराया जाये। पंजीयन शुल्क जमा कराने के पश्चात् ही प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

3/ उपरोक्त वर्णित कंडिकां–1 के प्रत्येक प्रकरण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क प्रकरण की श्रेणी के अनुसार निम्न दर्शित दरों से प्राप्त किया जावे :–

(I) भारत सरकार के विभाग/उपक्रम के प्रकरण.

क्र.	श्रेणी	शुल्क(रू. में)
1.	50 हेक्टर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिये	10,000
2.	51 से 100 हेक्टर के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिये	15,500
3.	101 हेक्टर से अधिक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिये	20,000

(II) मध्य प्रदेश शासन के विभाग/उपक्रम के प्रकरण.

क्र.	श्रेणी	शुल्क(रू. में)
1.	50 हेक्टर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिये	5,000
2.	51से 100 हेक्टर के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिये	7,500
3.	101 हेक्टर से अधिक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिये	15,000

(III) निजी संस्थानों के प्रकरण

क्र.	श्रेणी	शुल्क(रू. में)
1.	5 हेक्टर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिये	10,000
2.	6 से 10 हेक्टर के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिये	20,000
3.	11 हेक्टर से 15 हेक्टर के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिये	30,000
4.	16 हेक्टर से अधिक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिये	50,000

4/ उपरोक्तानुसार जमा किया गया पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क वापिसी योग्य (refundable) नहीं होगा।

5/ इस आदेश का क्रियान्वयन एक मार्च 2000 से प्रारंभ किया जाये अर्थात् जो प्रकरण एक मार्च 2000 या उसके पश्चात् पंजीबद्ध होंगे, उन पर ही उपरोक्तानुसार शुल्क की वसूली की जाये।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(जी.ए.किन्हाल)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/ 936/10/3/2000 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी, 2000

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल.
2- महालेखकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्य प्रदेश ग्वालियर.
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर.
4- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्य प्रदेश शासन, ———— विभाग भोपाल.
5- समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग.

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण)मध्यप्रदेश, भोपाल.

पृ0क्रमांक/10/2000/भू-सर्वे0/सम0/ 836 भोपाल,दिनांक- 24/2/2000

प्रतिलिपि-

1/ समस्त वन संरक्षक म0प्र0
2/ समस्त वनमण्डलाधिकारी म0प्र0
3/ समस्त अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण)

की ओर सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । वनसंरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों के पंजीयन शुल्क तथा निरीक्षण शुल्क वसूल कर विभाग को प्राप्त प्रस्तावों में स्पष्ट उल्लेख कर अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधितों को भेजना सुनिश्चित करें ।

नि0मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण)
म0प्र0भोपाल.